केन्द्रीय रेशम बोर्ड
(वस्त्र मंत्रालय – भारत सरकार)
केरेबो कांप्लेक्स, बी.टी.एम. लेआउट,
मडिवाला, बेंगलूर – 560 068.

CENTRAL SILK BOARD
(Ministry of Textiles - Govt. of India)
CSB Complex, B.T.M. Layout,
Madiwala, Bangalore-560 068.

No.CSB-40(1)/2013-ES.I

Date: 11 August 2015

CIRCULAR

Sub : Non observance of Rule 20 of CCS (Conduct) Rules, 1964 – reg.

Ref : Central Office Circular (i) No.CSB-40(1)/88-ES.I.Vol.VII dated 24th August 2005 (ii) No.CSB-40(1)/2013-ES.I dated 29th July 2013 (iii) No.CSB-40(1)/2013-ES.I dated 3rd January 2014 & (iv) No.CSB-40(1)/2013-ES.I. dated 14th November 2014.

-x-x-x-x-x-

It is observed by the undersigned that inspite of issuing number of Circulars to refrain from the practice of bringing any political or other outside influence on service matters, the Central Office is continued to receive representations from the employees and their family members like wife / parents / parent-in-laws of the Board's employees as also references from Members of Parliament and State Legislatures & other political/ outside functionaries to sponsor their cases, in spite of clear instructions which is a violation of Rule 20 of CCS (Conduct) Rules, 1964.

In this connection, the attention of Officers and Staff is invited to Rule 20 of CCS (Conduct) Rules, 1964, wherein it has been made clear that **"No Government servant (include member of family) shall bring or attempt to bring any political or other outside influence to bear upon any superior authority to further his interest in respect of matters pertaining to his service under Government".**

Further, the Department of Personnel & Training, Government of India vide Office Memorandum No.11013/12/94-Estt (A) dated 12/01/1995 has emphasized that the Government servants should not approach Members of Parliament or State Legislatures or other political / outside functionaries to sponsor their case in respect of service matters.

In view of the above, it is once again reiterated that the employees of Central Silk Board should refrain from such practice and also make it clear that in case of violation of Rule 20 of CCS (Conduct) Rules, 1964, the Officers and Staff are liable for disciplinary action, apart from recording of appropriate entry in the APAR of the concerned Officers/Staff by the Reporting/Reviewing Officers. However, all genuine cases will be considered on merit within the ambit of existing rules & regulations.

This is for the information of all concerned.

(Dr. H. Nagesh Prabhu)
Member Secretary

To:

1] All the Officers & Staff of Central Silk Board (Through the concerned Heads)

2] Notice Boards of all CSB Units.

केन्द्रीय रेशम बोर्ड CENTRAL SILK BOARD
(वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार Ministry of Textiles - Govt. of India)
केरेबो कॉम्प्लेक्स, बी टी एम लेआऊट, मडिवाला
CSB Complex, BTM Layout, Madiwala
बेंगलूरु Bangalore – 560068

सं.केरेबो-40(1)/2013-स्था । दिनांक : 11 अगस्त, 2015

परिपत्र

विषय : केन्द्रीय सिविल सेवा [आचरण] नियमावली-1964 के नियम 20 का पालन न करने के संबंध में ।

संदर्भ : केन्द्रीय कार्यालय का परिपत्र (i)सं.केरेबो-40(1)/88 स्था-। खंड-VI दिनांक 24 अगस्त, 2005 (ii) सं.केरेबो-40(1)/2013-स्था । दिनांक 29 जुलाई, 2013 (iii) सं.केरेबो-40(1)/2013-स्था-। दिनांक 3 जनवरी, 2014 एवं (iv)सं.केरेबो-40(1)/2013-स्था-। दिनांक 14 नवंबर 2014

******

अधोहस्ताक्षरी द्वारा पाया गया है कि सेवा मामलों में किसी राजनैतिक अथवा अन्य बाह्य सिफारिश लाने की प्रणाली से बचने के संबंध में कई परिपत्र जारी करने के बावजूद केन्द्रीय कार्यालय में बोर्ड के कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों जैसे पत्नी/माँ-बाप/सास ससुर तथा सांसद एवं राज्य विधान सभा व अन्य राजनैतिक/बाह्य कार्यकर्ताओं से सेवा मामले से संबंधित अभ्यावेदन प्राप्त होना जारी है, यद्यपि ऐसी प्रणाली से बचने हेतु स्पष्ट अनुदेश दिया गया है, जो सीसीएस [आचरण] नियमावली 1964 के नियम 20 का उल्लंघन है ।

इस संबंध में अधिकारियों एवं कर्मचारियों का ध्यान सिविल सेवा [आचरण] नियमावली 1964 के नियम 20 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि "सरकार के अंतर्गत कोई सरकारी कर्मचारी (जिसमें परिवार के सदस्य भी निहित है) अपनी सेवा से संबंधित अपने मामले के पक्ष में वरिष्ठ अधिकारियों पर प्रभाव डालने के लिए किसी राजनीतिक अथवा अन्य बाहरी सिफारिश नहीं करेगा" ।

भारत सरकार ने दिनांक 12/01/1995 के कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग, कार्यालय ज्ञापन सं.11013/12/94 स्था (ए) द्वारा यह जोर दिया है कि सेवा संबंधी मामलों में सरकारी कर्मचारी अपने मामले में संसद सदस्य अथवा राज्य विधायकों या अन्य राजनैतिक/बाहरी कार्यकर्ताओं द्वारा सिफारिश न करें ।

उपरोक्त की दृष्टि में, पुनः यह कहना है कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कर्मचारी ऐसी प्रणाली से बचें और यह स्पष्ट किया जाता है कि सिविल सेवा [आचरण] नियमावली-1964 के नियम 20 का उल्लंघन करने पर अधिकारी एवं कर्मचारी अनुशासनिक कार्रवाई के पात्र होंगे, इसके अलावा रिपोर्टिंग/पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में तत्संबंधी प्रतिकूल तथ्यों को दर्ज किया जाएगा । फिर भी, विद्यमान नियम व विनियमों के अंतर्गत वास्तविक मामलों पर गुण के आधार पर विचार किया जाएगा ।

यह सभी संबंधित के सूचनार्थ है ।

[डॉ. एच. नागेश प्रभु]
सदस्य सचिव

सेवा में

1) केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी (संबंधित प्रधान द्वारा)
2) केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सभी इकाइयों के सूचना पट्ट